राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2419/2012/उदयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी', उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अरावली एजेंसी, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 11/02/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 151/वैट/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'सी', उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007–08 का वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2010 में आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये क्रेडिट नोट (ट्रेड डिस्काउण्ट) रूपये 30,62,080/– पर देय आई.टी.सी. रूपये 3,82,784/– को अस्वीकार किया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र व ऑडिट रिपोर्ट विलम्ब से पेश किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 51,677/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2012 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

लगातार.....2

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर प्रत्यर्थी के अभिभाषक की लिखित बहस उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी के विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि प्रत्यर्थी के विक्रय मूल्य का भाग होने से कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में कोई भूल नहीं की है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र व ऑडिट रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण भी उचित प्रकार से किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किये बिना कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में कथन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा क्रय किये गये माल के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कर अदा किया जाता है। प्रत्यर्थी ने आलौच्य अवधि में राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की खरीद पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए पर इस पर करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की है। विक्रेता की ओर से प्रत्यर्थी को दिया गया ट्रेड डिस्काउण्ट वेट अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानानुसार भी विक्रेता के विक्रय मूल्य में से कम नहीं हो सकता। अतएव विक्रेता द्वारा वेट इन्वॉयस के सम्पूर्ण विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार को वैट चुकाया जाकर की गई खरीद के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रेता द्वारा दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि पर आई.टी.सी. अस्वीकृत करना अनुचित है। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त तर्कों के समर्थन में **कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी' उदयपुर** का हवाला दिया गया। अग्रिम कथन किया गया कि धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को विशिष्ठ नोटिस जारी नहीं किये जाने से शास्ति का आरोपण अनुचित है। उक्त अंकन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

लगातार.....3

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया, प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए इस पर आई.टी.सी. अस्वीकृत किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में **'विक्रय मूल्य'** को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–

(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

8. वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वॉयस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इस सीमा तक प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा उल्लेखित माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

9. जहां तक वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने का प्रश्न है, अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2012 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर कर बोर्ड के स्तर पर निर्णय दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त इस सम्बन्ध में विधिसम्मत निर्णय आदेश प्राप्ति से तीन माह की अवधि में पारित करें।

लगातार.....4

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकृत आई.टी.सी. के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 11.02.15

(मनोहर पुरी)
सदस्य